तारीख हेवगे। हुक्म या कार्यवाही मय ...

ऑन लाईन नं.GCMS2023/216

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 67/2023

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री सन्नी चुघ पुत्र श्री चन्द्रभान **–विक्रेता व प्रोपराईटर–**
मै0 चुघ ट्रेडिंग कंपनी, 174 सुरजीत सिंह कोलोनी, गली. न. 1, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/ 52

निर्णय **दिनांकः 10.01.2025**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री कंवर पाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांकः–एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश क्रमांकः– आयुक्ता0/खासुऔनि/संरथा/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.03.2023 को समय 02.30 बजे मैसर्स चुघ ट्रेडिंग कंपनी, 174 सुरजीत कोलोनी, गली नं. 1, श्रीगंगानगर पर पहुंचे, मौके पर **श्री सन्नी चुघ पुत्र श्री चन्द्रभान** को अपना परिचय देकर दुकार पर रखी Sugar Boiled Confectionary(amber Straberry Jelly) के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बाताया तथा दुकान में रखे रैक पर Sugar Boiled Confectionary(amber Straberry Jelly) 90 इनबाक्स को आमजन के बेचान वास्ते होना बताया। Sugar Boiled Confectionary(amber Straberry Jelly) में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान ने व खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध Sugar Boiled Confectionary(amber Straberry Jelly) में से 323 ग्राम गुणा विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा Sugar Boiled Confectionary(amber Straberry Jelly) का नगद भुगतान 340/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और आवेदक अधिकारी के भी हस्ताक्षर हैं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

कहा जिसे **श्री सन्नी चुघ पुत्र श्री चन्द्रभान** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं **श्री सन्नी चुघ** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा Sugar Boiled Confectionary(amber Straberry Jelly) 323 ग्राम गुणा 4 इनबॉक्स पर लेबल तैयार कर टेप से चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व क्रमांक के–1714** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1714** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आये। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री सन्नी चुघ** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-:L.S./413/Act/2023/413 Dated 06.04.2023 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1715 Misbranded Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री सन्नी चुघ पुत्र श्री चन्द्रभान, मै0 चुघ ट्रेडिंग कंपनी, 174 सुरजीत सिंह कोलोनी, गली. न. 1, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर का Sugar Boiled Confectionary(amber Straberry Jelly) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.08.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता सुरेश कुमार सिंवर ने वकलतनामा प्रस्तुत किया। अभियुक्त के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने जरिए अधिकवक्ता अपने जवाब में कथन किया कि अप्रार्थी मै. चुघ ट्रेडिंग कंपनी, श्रीगंगानगर का स्वामी है और अप्रार्थी की फर्म द्वारा कन्फेक्शनरी का कार्या होलसेल के रूप में किया जाता है। अप्रार्थी की फर्म द्वारा कंफनैक्शनरी की किसी भी वस्तु का निर्माण श्रीगंगानगर में नहीं किया जाता, बल्कि बाहर की फर्मों से माल खरीद किया जाकर होलसेल में विक्रय किया जाता है। इस प्रकार से अप्रार्थी फर्म द्वारा किसी प्रकार की कोई मिलावट उत्पाद में नहीं की जाती। अप्रार्थी एक छोटा दुकानदार है और निर्दोष है। परिवादी द्वारा एक ही समय में अप्रार्थी की फर्म की दो वस्तुओं स्ट्रोबरी व टॉफी के अलग–अलग सैम्पल लिए गए और अलग–अलग परिवाद पेश करके भी एक कानूनी भूल की है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी जो कि निर्दोष

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ... (राज.)

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

है, वह लोक अदालत की भावना से ताकि बिना वजह मुकदमेबाजी में रहकर समय बर्बाद न हो, इस कारण इस स्थिति को देखते हुए उपरोक्त प्रकरण को निस्तारण करवाना चाहता है, जो कि श्रीमान न्यायालय से निवेदन है कि अप्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्मतारण फरमाया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया Sugar Boiled Confectionary(amber Straberry Jelly) का सैम्पल **K-1714** जांच रिपोर्ट क्रमांकः– L.S./413/Act/2023/413 Dated 06.04.2023 द्वारा **Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी एक छोटा दुकानदार है और निर्दोष है। परिवादी द्वारा एक ही समय में अप्रार्थी की फर्म की दो वस्तुओं स्ट्रोबरी जैली व टॉफी के अलग–अलग सैम्पल लिए गए और अलग–अलग परिवाद पेश करके भी एक कानूनी भूल की है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी जो कि निर्दोष है, वह लोक अदालत की भावना से ताकि बिना वजह मुकदमेबाजी में रहकर समय बर्बाद न हो, इस कारण इस स्थिति को देखते हुए उपरोक्त प्रकरण को निस्तारण करवाना चाहता है, जो कि श्रीमान न्यायालय से निवेदन है कि अप्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्मतारण फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Sugar Boiled Confectionary(amber Straberry Jelly)" bearing Code No and Sr. No. K-1714, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Misbranded Food Under Section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act-2006** की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्त **श्री सन्नी चुघ पुत्र श्री चन्द्रभान मै0 चुघ ट्रेडिंग कंपनी, 174 सुरजीत सिंह कोलोनी, गली. न. 1, श्रीगंगानगर** को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **श्री सन्नी चुघ पुत्र श्री चन्द्रभान मै0 चुघ ट्रेडिंग कंपनी, 174 सुरजीत सिंह कोलोनी, गली. न. 1, श्रीगंगानगर** को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये **10,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थो से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर

अति0 जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)